भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1876** जिसका उत्तर

मंगलवार, **22 सितंबर**, 2020/31 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है

मैरीटाइम कॉलेज/संस्थान

†1876. **डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :**

श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काफी कम मैराटाइम कॉलेज/संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे कॉलेजों/संस्थानों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कॉलेजों/संस्थानों से कुल कितने छात्र स्नातक हुए हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कितने छात्रों को राजगार मिला है;

(घ) क्या मैरीटाइम क्षेत्र में कम रोजगार अवसर रहता है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ड.) क्या सरकार ने समुद्र तट के किनारे के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश में मैरीटाइम क्लस्टरों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन मैरीटाइम क्लस्टरों को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) नौवहन महानिदेशालय, मुंबई ने 153 समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदित किया है। इन 153 में से केवल 55 महाविद्यालय ही कोविड-19 महामारी के दौरान आभासी (वर्चुअल) कक्षाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ख) कार्यकारी समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार सूची:-

क्र. सं.	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	संस्थानों की संख्या
01	आंध्र प्रदेश	02
02	बिहार	01
03	उत्तराखण्ड	01
04	दिल्ली	06
05	हरियाणा	03
06	केरल	02
07	महाराष्ट्र	19
08	तमिलनाडु	11
09	उत्तर प्रदेश	05
10	पश्चिम बंगाल	05
कुल		55

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों से स्नातक की उपाधि प्राप्त छात्रों की कुल संख्या 32,029 है और पिछले तीन वर्षों में शिप बोर्ड प्रशिक्षण प्रदान किए जाने वाले छात्रों की संख्या 19,204 है।

विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तीर्ण और शिप बोर्ड प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवारों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या	शिप बोर्ड प्रशिक्षण की कुल संख्या
2017	11155	8515

2018	10928	7154
2019	9946	3535

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान समुद्री क्षेत्र में रोजगार का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जो समुद्री क्षेत्र में रोजगार संबंधी अवसरों में वृद्धि दर्शाता है:

वर्ष	कार्यरत समुद्रकर्मियों की कुल संख्या	वृद्धि%
2017	1,54,349	7.23
2018	2,08,799	35.27
2019	2,34,886	12.49

समुद्री क्षेत्र में रोजगार संबंधी अवसरों में सतत रूप से वृद्धि की ओर ले जाने वाली कुछ पहलें निम्नानुसार है:-

- वर्ष 2016 में अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और रेटिंग्स को न केवल वैश्विक मानकों की पूर्ति हेतु बल्कि विदेशी नियोक्ताओं की उम्मीदों को भी पूरा करने के लिए संशोधित किया गया।
- सरकार ने रोजगार के प्रयोजनों हेतु जलयान में चढ़ने के लिए पूर्वापेक्षा इंडियन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सीडीसी) प्राप्त करने के लिए बड़ी विनियामक छूट भी दी है। वर्ष 2017 में सीडीसी का एक नया उदारीकृत प्रशासन लागू किया गया जो 10वीं उत्तीर्ण भारतीय नागरिकों, जिन्होंने 14 दिन का बुनियादी समुद्री पाठ्यक्रम पूरा किया है, को भारतीय सीडीसी प्राप्त करने की अनुमति देता है। पूर्व में, इन्हें सीडीसी प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीनों का प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक था। इसके आगे, ऑनबोर्ड क्रूज जलयानों पर पिछले अनुभवों के आधार पर 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण होने की शर्त को हटा लिया गया। इसने अनेक समुद्रकर्मियों को उनके पिछले अनुभवों से क्रूज पोतों में भारतीय सीडीसी प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
- विनियामक द्वारा छात्रों के ऑनबोर्ड पोत प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को उत्तरदायी बनाकर एक नीतिगत बदलावा किया गया था। साथ ही और अधिक ऑनबोर्ड

पोत प्रशिक्षण स्लॉट जारी करने के लिए टगों और अपतट जलयानों में भी अधिकारियों और रेटिंग्स के ऑनबोर्ड प्रशिक्षण की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया था। इन दो पहलों से लगभग 4000 प्रशिक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त बर्थ सृजित हुई हैं।

- चूंकि, समुद्री श्रम कन्वेंशन, 2006 यथासंशोधित के अनुरूप वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत गठित नियमों और विनियमों के माध्यम से भारतीय समुद्रकर्मियों का नियोजन सुविनियमित है और उनका कल्याण भली-भांति संरक्षित है, अधिक से अधिक विदेशी पोतस्वामी भारतीय समुद्रकर्मियों को अपने पोतों में ऑनबोर्ड काम में संलग्न कर रहे हैं।
- वर्ष 2017 में नये सरलीकृत कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सीडीसी) नियमों के प्रवर्तन और सीडीसी के जारी करने की प्रक्रिया को कागज-रहित/ऑनलाइन करके भारतीय समुद्रकर्मियों की संख्या में वृद्धि को सुगम किया गया है।

(ड. और च) जी, हां। दो समुद्री समूहों को चिन्हित किया गया है, एक गुजरात में और दूसरा गोवा में। गुजरात समुद्री बोर्ड द्वारा गुजरात में समुद्री समूह विकास के एक भाग के रूप में भावनगर में पोत निर्माण पार्क की डीपीआर तैयार की गई है। गोवा समुद्री समूह के विकास और प्रचालन के लिए एक औद्योगिक भू-क्षेत्र आबंटित किया गया है और एक स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) का गठन किया गया है।

*****